(ग) इस मंत्रालय मे और सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों आदि मे राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और जहा कहीं उनका उल्लंघन ध्यान में आता है, तो उपचारात्मक उपाय किए जाते है।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

725. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठके हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप म नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) इस्पात और खान मंत्रालय, इसके संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयो में, हिन्दी अनुभागो को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) चालू वर्ष के दौरान इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की अब तक दो बैठकें हो चुकी है।

अब तक हिन्दी सलाहकार समिति के पांच माननीय गैर-सरकारी सदस्यों को इस मंत्रालय के दोनों विभागों तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कुछ उपक्रमों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया जा चुका है। दो और सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया जा रहा है।

(ख) अब तक किसी भी अनुभाग में शतप्रतिशत कार्य हिन्दी मे कर पाना सम्भव नही हो पाया है। तथापि इस्पात विभाग मे कुछ अनुभागों में हिन्दी के प्रयोग की दिशा मे सुधार हुआ है और स विभाग में विभिन्न अनुभागों में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि करने के लिए प्रयास जारी हैं। इस्पात विभाग में कार्य की छः मदें विनिर्दिष्ट की गई है, जिनके सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। खान विभाग के विभिन्न अनुभागों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों/ हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कई अनुभागों में हिन्दी का व्यापक रूप मे प्रयोग कया जाता है।

(ग) मंत्रालय के दोनो विभागों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धो का लगभग पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और इसके अनुपालन मे सुधार लाने के लिए प्रयास जारी है। इस दिशा में मामूली सा उल्लंघन होने का एक कारण--सम्बन्धित सभी दस्तावेजो के अनुवाद-कार्य मे विलम्ब होना है।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

726 **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठके हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप मे नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) संसदीय कार्य मंत्रालय, इसके संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभागों को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। तथा यह किस-किस तारीख मे किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं

अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) वर्तमान वर्ष के दौरान मन्त्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 28-3-87 और 11-9-87 को दो बैठकें आयोजित की गयी । मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में बारी-बारी आमंत्रित किया जाता है । मन्त्रालय के अधीनस्थ सम्बद्ध कोई कार्यालय आदि नहीं है ।

(ख) मंत्रालय में हिन्दी अनुभाग सहित 10 अनुभाग है जिनमे एक अनुभाग-सामान्य अनुभाग में 17-10-85 से शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी मे किया जा रहा है तथा दो अन्य अनुभागो मे क्रमशः 17-7-86 और 27-3-87 से प्रारम्भ में 25 प्रतिशत कार्य हिन्दी मे किया जा रहा है ।

(ग) मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन किया जाता है ।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

727 **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति मे सभी स्तरो पर गैर-सरकारी सदस्यो को पर्यवेक्षक के रूप मे नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) मन्त्रालय, इसके विभागो, संस्थानो और अधीनस्थ कार्यालयो मे हिन्दी अनुभागो को छोडकर किस-किस अनुभाग मे शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी मे किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 33) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) कलेन्डर वर्ष 1987 के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की अब तक 3 बैठके हुई है । अन्य बैठक 17-11-87 को होनी है । गैर-सरकारी व्यक्तियो को राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में पर्यवेक्षक के रूप मे नामित नही किया जाता, क्योंकि ये विभागीय समितिया हैं । तथापि, इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के एक गैर-सरकारी सदस्य को इस मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठको मे आमंत्रित किया जाता है । कुछ माध्यम एकक भी हिन्दी सलाहकार समिति के एक गैर-सरकारी सदस्य को अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति मे आमंत्रित करते है ।

(ख) इस मंत्रालय के किसी भी अनुभाग मे शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी मे नही हो रहा है । तथापि, इस मंत्रालय मे कतिपय विषय निर्धारित किये गये है जिनका निपटान करने के लिए हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों मे हिन्दी का प्रयोग करने के लिये कहा गया है । इस मंत्रालय के कुछ माध्यम एककों ने कुछ अनुभागो का भी चयन किया है जिनमें अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के प्रयास किये जाते है ।

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को इस मंत्रालय और इसके माध्यम एककों मे यथासंभव कार्यान्वित